Central Coalfields Limited
A Mini Ratna Company
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Personnel / NEE Department
Darbhanga House, Ranchi – 834029
CIN - U10200JH1956GOI000581
Website - http://centralcoalfields.in

CCL
Fuelling Sustainable Growth

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
एक मिनी रत्ना कंपनी
(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)
कार्मिक/कर्मचारी स्थापना विभाग
दरभंगा हाउस, रांची – 834029
सी.आई.एन. - U10200JH1956GOI000581
वेबसाइट - http://centralcoalfields.in

पत्रांक:- सीसीएल/एनईई/क्वालिटी कंट्रोल संवर्ग/टेक्निकल इंस्पेक्टर ग्रुप/2024-25/ 11089-11100(H)
दिनांक:- 21, जनवरी, 2025

कार्यालय आदेश

केंद्रीयकृत क्वालिटी कंट्रोल संवर्ग के निम्नलिखित कणीय टेक्निकल इंस्पेक्टर टी एवं एस ग्रेड-डी को एततद्वारा सहायक टेक्निकल इंस्पेक्टर टी एवं एस ग्रेड-सी (एनसीडब्लूए-XI वेतनमान रु. 47330.25 पर) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

The under mentioned Jr. Technical Inspector in T&S Grade-D of the Centralized Cadre of Quality Control are hereby promoted to the post of Asstt. Technical Inspector in T&S Grade-C (in the scale under NCWA-XI at Rs. 47330.25).

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पीआईएस संख्या	प्रोन्नति की आधार	वर्तमान पदस्थपना का क्षेत्र
1	बसंत कुमार साहू	14568190	अनारक्षित	अम्रपाली एवं चन्द्रगुप्त क्षेत्र
2	विकास कुमार	14564181	अनारक्षित	कुजू क्षेत्र
3	पोखाराज साव	14572333	अनारक्षित	मगध एवं संघमित्र क्षेत्र
4	श्याम लाल	14563688	अनारक्षित	अरगड्डा क्षेत्र
5	दीपक कुमार साव	14572366	अनारक्षित	मगध एवं संघमित्र क्षेत्र

इनकी पदोन्नति उक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। अगला आदेश जारी होने तक वे उनके वर्तमान क्षेत्र में ही पदस्थापित रहेंगे।

The promotion of the above mentioned employees will be effective from their actual date of joining to the promoted post and they will continue at their present Area of posting till further orders.

उपर्युक्त वर्णित कर्मी सी॰सी॰एल॰ के प्रमाणित स्थायी आदेश के खण्ड 3.6 के अनुसार उक्त पद पर छः महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगें।

They will be on probation for a period of 06 months as per the clause 3.6 of Certified Standing Orders of the company.

इनकी इंटर-सी-सीनियारिटी अनुमोदित पैनल में इनकी वरीयता क्रम में रहेगी जो उनके पदोन्नत पद पर वास्तविक पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित नहीं होगी।

Their inter-se-seniority will remain in the same order as shown in the approved panel irrespective of their actual date of joining on the promoted post.

सी॰सी॰एल॰ एंव उसकी सहायक कम्पनियों के गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सुनिश्चित करने हेतु पत्रांक:- सी.आई॰ एल॰/सी-5/जे॰बी॰सी॰सी॰आई/एस॰सी/डिटरमिनेशन ऑफ सीनियरिटि/33 दिनांक: 11.02.2021 द्वारा जारी किये निर्देशो के तहत उपरोक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद पर यथाशीघ्र अपना योगदान दें। **यदि संबंधित कर्मचारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने के 30 दिनों के अंदर पदोन्नत पद पर अपना योगदान नहीं देते हैं तो यह कार्यालय आदेश स्वत: रद्द हो जाएगा।**

In view of the CIL guideline on determination of seniority in case of Non -Executive Cadre employees of CIL and its subsidiaries circulated vide reference no. CIL/C-5B/JBCCI-X/SC/Determination of

शोभना 21/01/25

Scanned with OKEN Scanner

Seniority/33 dated 11-02-2021, the aforementioned employee are directed to report for their duty on the promoted post at the earliest and not later than 30 days of issue of this order. **If the concerned employee does not join within 30 days of the issuance of office order, the same shall stand cancelled.**

सम्बंधित महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष (प्रमाणित स्थाई आदेश के अनुसार अनुशासनात्मक अधिकारी) सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कर्मचारी का पदोन्नत पद पर योगदान तभी स्वीकार किया जाए जब उनके विरुद्ध कोई भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाई लंबित नहीं हो, जिसके उपरांत ही उनका पदोन्नत पद पर योगदान प्रभावी होगा। पदोन्नत पद पर उनकी जोइनिंग रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाही हेतु इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित की जाय।

The concerned GM / HOD of the Department (Disciplinary Authority as per Certified Standing Orders of the Company) is to ensure that the joining to the promoted post is accepted only if there is no departmental disciplinary case pending against the concerned employee only after which this promotion would be effected. Their joining report to the promoted post must be forwarded to this office immediately, for further necessary action at this end.

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

(सौम्या सिंह)
उप प्रबन्धक (का-कर्म. स्था)
सीसीएल: राँची

वितरण:-

1. महाप्रबंधक, सीसीएल, अम्रपाली एवं चन्द्रगुप्त/कुजू/अरगड्डा/मगध-संगमित्र क्षेत्र।
2. निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
3. महाप्रबंधक (कार्मिक-कर्मचारी स्थापना), सीसीएल, रांची।
4. महाप्रबंधक (प्रणाली), सीसीएल, रांची - सीसीएल वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. महाप्रबंधक (क्वालिटी कंट्रोल), सीसीएल, रांची।
6. अमला अधिकारी (कार्मिक), सीसीएल, अम्रपाली एवं चन्द्रगुप्त/कुजू/अरगड्डा/मगध-संगमित्र क्षेत्र।
7. क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, सीसीएल, अम्रपाली एवं चन्द्रगुप्त/कुजू/अरगड्डा/मगध-संगमित्र क्षेत्र।
8. श्रमशक्ति सहायक, कर्मचारी स्थापना विभाग, सीसीएल, रांची।
9. संबन्धित कर्मचारी (द्वारा- महाप्रबंधक-संबंधित क्षेत्र)।
10. संबंधित संचिका।

Scanned with OKEN Scanner